"बिज़नेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2007-2009."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 297] रायपुर, शनिवार, दिनांक 3 अक्टूबर 2009—आश्विन 11, शक 1931

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 3 अक्टूबर 2009

क्रमांक 6854/174/21-अ/प्रा./छ. ग./09.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 09-09-2009 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार काटिया, उप-सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्रमांक 10 सन् 2009)

छत्तीसगढ़ नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2009

छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) में और संशोधन करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ. 1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2009 है.

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर होगा.

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन के दिनांक से प्रवृत्त होगा.

धारा 35 का संशोधन. 2. छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से विनिर्दिष्ट है) की धारा 35 के खण्ड (क्यू) का लोप किया जाये.

धारा 38 का संशोधन. 3. मूल अधिनियम की धारा 38 की उपधारा (1) के खण्ड (ड्ड) का लोप किया जाये.

रायपुर, दिनांक 3 अक्टूबर 2009

क्रमांक 6854/174/21-अ/प्रा./छ. ग./09.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2009 (क्रमांक 10 सन् 2009) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार काटिया, उप-सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 10 of 2009)

THE CHHATTISGARH MUNICIPALITIES (SANSHODHAN) ACT, 2009

An Act to amend the Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixtieth Year of the Republic of India :—

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Municipalities (Sanshodhan) Act, 2009. **Short title, extent and commencement.**

(2) It extends to the whole of State of Chhattisgarh.

(3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. Clause (q) of Section 35 of the Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961) (hereinafter referred to as the Principal Act) shall be omitted. **Amendment of Section 35.**

3. Clause (ee) of sub-section (1) of Section 38 of the Principal Act shall be omitted. **Amendment of Section 38.**

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2009.